

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 958 / XXV-12 / 2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक

सितम्बर, 2015

30 अक्टूबर

सेवा में,

Namita Shukla,
136/8, Church Road,
Vishnupuri, Aliganj,
Lacknow - 226022

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनाओं के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 03 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है के क्रम में अवगत कराना है कि जो फोटो पहचान पत्र का नम्बर आपके द्वारा दिया गया है उस नम्बर पर कोई विवरण/सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अर्थात् वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
२०/१

Date: 12.10.2015

To
The Public Information Officer
Office of the Chief Electoral Officer
Govt. of Uttarakhand,
4 Subhash Road, North Block, Secretariat
Dehradun (Uttarakhand) – 248001

Sub: Information about voter id card with epic no.-FSJ0041509, under the RTI Act.

Dear Sir,

With due respect, please let us know the following information under the RTI Act:

1. Voter id card with epic no.- **FSJ0041509**, exists in your records or not.
2. If it exists, please let us know to whom it has been issued and also provide the voter list for the same for last three years.
3. If the name of the person is deleted, please provide in which year his name was deleted from the list and what was the reason of deletion.

Your cooperation in this regard shall be highly appreciated.

The prescribed fee of Rs.10/- has been enclosed in the form of postal order.

Thanking You,
Yours Sincerely,


Namita Shukla
136/8, Church road
Vishnupuri, Aliganj,
Lucknow- 226022

19/X/15
Smt /

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या ९५१ / XXV-12 / 2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक ३० अक्टूबर, 2015

सेवा में,

श्री पूरननाथ,
पुत्र स्व० श्री रामनाथ,
ग्राम देवलातल्ला, पो० कुंवरपुर (गौलापार),
जनपद - नैनीताल

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

2. बिन्दु संख्या-01 से बिन्दु में वांछित सूचना के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर से जो कार्यवाही की गयी है उसकी प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।
3. बिन्दु संख्या-02 में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है के क्रम में अवगत कराना है कि ऐसा कोई विवरण/सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अर्थात् वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।


यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-


विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी


कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं ०१३५ - २७१२०५५, २७१३५५१
फैक्स नं ०१३५ - २७१३७२४, २७१२०१४

संख्या - ८१९ /XXV-114/2013

देहरादून : दिनांक ०७ अगस्त, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली-110001।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा सदस्य हेतु आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्शा अनुभाग-५ के पत्र संख्या JA/17201/XXXV-5/2015(15) दिनांक 30.07.2015 के माध्यम से प्राप्त श्री पूरननाथ, पुत्र स्व० श्री रामनाथ, ग्राम- देवलातल्ला, पो० कुंवरपुर (गौलापार), नैनीताल द्वारा प्रेषित ज्ञापन दिनांक 27.06.2015 को मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रत्नौड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि श्री पूरननाथ, पुत्र स्व० श्री रामनाथ, ग्राम- देवलातल्ला, पो० कुंवरपुर (गौलापार), नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रत्नौड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सेवामें

श्रीमान् प्रभुज सचिव मंडिर

निर्वाचन विभाग देशराजन्

उत्तराखण्ड

विषय:-

मंडिर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत सूचना चाहे जाने के सम्बन्धमें,

निवेदन इस प्रकार है कि प्राची द्वारा
27 जून 2015 को जिलाधिकारी मंडिर
नैनीताल के माध्यम से मुख्यमंत्रीमंडिर
उत्तराखण्ड शासन को उत्तराखण्ड विधानसभा
में 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीरी
की जनरा को विधान सभा सदस्य होने
प्रतिनिधित्व की माँग की गयी थी,

जिलाधिकारी मंडिर नैनीताल द्वारा 30 जून
2015 को मुख्यमंत्री कृष्ण को उपरिकिय
द्वारा, उत्तराखण्ड शासन मुख्यमंत्री कार्पोरल
जन चालान्डा को तुमामड़ी आपके उपरिके
किया गया है जिसकी व्याप परि संलग्न है।
① एक प्राची को आपके द्वारा की गई
उचित कार्पोरली की सूचना भेजने की तृप्ति
करें।

② एक विधानसभा चुनाव 2017 में ओबीरी
को प्रतिनिधित्व प्रिलेग्ज,
दिनांक - 01-10-2015

पो-ठांडो सेवा

25F748117

प्राची प्रिलेग्ज

प्रृथम पुत्र श्री स० श्री रामबाल

ग्राम - देवलाटला

पो-ठांडो - कुवरपुर गोलापारा

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5
क0संख्या: JA / 1720 / XXXV-5/2015 (18)
देहरादून: दिनांक ३०.०७.२०१५

अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या:- 1756/20-न्यायसहा०/2015, दिनांक 30 जून, 2015, के माध्यम से प्राप्त विभिन्न पार्टियों/संगठनों/जन प्रतिनिधियों/व्यक्तियों के ज्ञापन/प्रत्यावेदन, जो मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्र.स.	ज्ञापनदाता व्यक्ति/संगठन	सम्बन्धित विभाग
1.	श्री पूरननाथ, पुत्र स्व० श्री रामनाथ, ग्राम- देवलातल्ला, पो० कुंवरपुर (गौलापार) नैनीताल	प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग
2.	यूनिट सेकेट्री यूपीएमएसआरए हल्द्वानी यूनिट नैनीताल	अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न ज्ञापन/प्रत्यावेदन में उल्लिखित अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दु/बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोपरि।

(विनोद चन्द्र रावत)
विशेषकार्याधिकारी, मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन

क0संख्या: JA / XXXV-5/2015()तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30-06-2015 के क्रम में
2. श्री पूरननाथ, पुत्र स्व० श्री रामनाथ, ग्राम- देवलातल्ला, पो० कुंवरपुर (गौलापार) नैनीताल।
3. यूनिट सेकेट्री यूपीएमएसआरए हल्द्वानी यूनिट नैनीताल।

आज्ञा से.

(विनोद चन्द्र रावत)
विशेषकार्याधिकारी, मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन